Final NOC

NOC Application has been approved successfully !!!

Print

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/186016/KPD/KANPUR DEHAT/1956/CFO

दिनांक : 26-01-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **GREEN VALLEY PUBLIC SCHOOL** पता **PATEPUR, LALPUR RLY.STATION ROAD,RLY.STATION ROAD,LALPUR** तहसील - **AKBARPUR** प्लाट एरिया **2995 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2289.50** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL BUILDING	4	0	13.65 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **GREEN VALLEY PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **27-01-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAJESH KUMAR YADAV Mo. 9125828971** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **27-01-2026** से **26-01-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **GREEN VALLEY PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **GREEN VALLEY PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेश नीति के तहत संस्तुति निम्न प्राविधानों के अधीन की जाती है।

1-As per Applicant uploaded latter of B.S.A. dated 21.12.2014. therefore शासनादेश संख्याः 18/छः-पु0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0 गृह(पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ दिनांकः 07.01.2022 में अंकित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत।

2-Occupier/owner should ensure fire exits to be opened during working hours, to ensure safety of children's. Otherwise this issued NOC will be deemed automatically cancelled.

3-Occupier/owner should maintain the fire fighting systems round the clock.

4-Occupier/owner should maintain Electrical safety(As per Indian Electricity Act.), to prevent fire round the clock.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखो , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 27-01-2026

स्थान : KANPUR DEHAT

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

PRATEEK SHRIVASTAVA

278B17DF0447E4D0635C10284A1107EB8B58E50E

27-01-2026

Note:- Kinldy check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.